1 by Ad. 108

2 COURT FEE 2

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 332/2017 राजस्व वाद

(पूर्व प्रकरण संख्या 27/2008 राजस्व वाद उपखण्ड़ अधिकारी, माण्डल)

01. श्री सत्तार खां पुत्र श्री भूरे खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्री मुबारिक खां पुत्र श्री भूरे खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. श्री पीरू खां पुत्र श्री भूरे खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——वादीगण

बनाम

01. श्री रमजु खां पुत्र श्री अमरूद खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1/1. श्री मुबारिक खां पुत्र स्व0 श्री रमजु खां पठान निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1/1/1. श्री फिरोज पुत्र स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/2. श्री सद्दाम पुत्र स्व0 मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/3. शहजाद पुत्री स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/4. हसीना पुत्री स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/5. जाहिद पुत्र स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/2. श्रीमती जुम्मे पत्नी स्व0 श्री रमजु खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. श्री अजीज खां पुत्र श्री अमरूद खां पठान मुसलमान निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

2/1. श्रीमती सलमा बानू पत्नी स्व0 अजीज खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/2. श्री ईशाक खां पुत्र स्व0 अजीज खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3. श्री हनीफ पुत्र स्व0 अजीज खां पठान निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

2/3/1. श्री इकबाल खां पुत्र स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3/2. श्री असलम खां पुत्र स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3/3. शबीना पुत्री स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3/4. श्रीमती बच्ची बानू पत्नी स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3. रहमुदीन खां पुत्र श्री अमरूद खां पठान निवासी– कानजी का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

3/1. श्री शरीफ खां पुत्र स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

3/2. श्री पीरू खां पुत्र स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3/3. श्री मुन्ने खां पुत्र स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3/4. श्रीमती रहमत बानू पत्नी स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार , करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

06. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक

––प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–

01. . श्री पवन शर्मा, वन्टू सिंह चुण्डावत ––––अधिवक्ता वादी
02. श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता प्र.सं. 1 से 03
03. एकपक्षीय – –विपक्षी संख्या 6
04. पेरोकार सरकार ––प्रतिवादी संख्या 04 एवं 05

:: आदेश :: दिनांक– 30.06.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नम्बर 1060 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि मे से 13 बीघा भूमि वादीगण के पिता श्री भूरे खां पुत्र श्री दुल्हे खां पठान मुसलमान निवासी– कानजी का खेड़ा ने तात्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या .01 लगायत 03 के पिता श्री अमरूद पुत्र श्री चांद खां पठान मुसलमान निवासी– कान जी का खेड़ा से दिनांक 18/02/1974 को बिल एवज 2,000/– रूपये मे जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र के कय की तब से उक्त आराजी पर वादीगण के पिता काबिज होकर उपयोग करते चले आ रहे है तथा उक्त आराजी के खरीदने के बाद मे राजस्व खाता जमाबंदी संवत 2021 से 2024 की जमाबंदी मे वादीगण के पिता भूरे खां का नाम दर्ज हुआ है। उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 1060 के नवीन आराजी नम्बर 809 रकबा 06 बीघा एव 810 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा कायम हुए तथा उक्त आराजियात पर वादीगण के पिता काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण के पिता भूरे खां का आज से करीब 02 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया तथा वादीगण के पिता के देहान्त उपरान्त उक्त वर्णित आराजियात पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता का भी देहान्त हो गया। वादीगण उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हे, माह जनवरी 2006 मे प्रतिवादीगण ने वादीगण को उक्त आराजियात से बेदखल करने की धमकी दी, इस पर वादीगण के राजस्व रेकार्ड की जानकारी हेतु नकले प्राप्त की जानकारी हुई कि बाद सेटलमेन्ट प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो से मिलीभगत से वादीगण के पिता के नाम पर उक्त आराजियात का इंतकाल नही खोला वादीगण के पिता ने भी उक्त आराजी का नामान्तरणकरण अपने नाम पर खुलवाने हेतु कहा तो बार बार टालमटोल करते रहे व दिंनाक 18/01/2006 को भी प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन कोई ध्यान नही दिया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की नियत मे फितुर होने से दिनांक 20/01/2008 को जबरन वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी कि व भूमि को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी, वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित साबिक आराजी जिसके नवीन आराजी नम्बर वादपत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित है, को वादीगण क पिता भूरे खां पुत्र श्री दुल्हे खां द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता अमरूद खा पुत्र श्री चांद खां मुसलमान से जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये कय करने से वादीगण अपने नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है व साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया व इसी प्रकरण से संबध मे पूर्व मे वादपत्र का निस्तारण होने व रेस ज्युडिकेटा का प्रभाव रखने से व वाद के तथ्यो को गलत बताते हुए खारीज करने का निवेदन किया। मामले मे दौरान वाद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का इस आशय का पेश किया कि वादीगण द्वारा इन्ही आधारो पर व समान पक्षकार व समान अनुतोष के लिए इन्ही विवादित आराजियात बाबत वादीगण द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 01/2006 दिनांक 09/03/2007 को न्यायालय आप द्वारा खारीज कर दिया गया और उसके विरूद्व कोई अपील अथवा रीवीजन वादीगण ने नही की

उपखण्ड अधिकारी पदेन
... करेड़ा

अर्थात उक्त पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09/03/2007 अंतिम हो चुका है तथा उक्त निर्णित वाद मौजूदा वाद पर रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव रखता है। जिससे उक्त पश्चातवर्ती वादपत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है अर्थात वादीगण ने कोई वाद प्रस्तुत नही करना बताया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत करते हुए वादीगण द्वारा इसी आराजी के संबध मे कोई वाद पेश नही करने से प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 01/2006 दिनांक 09/03/2007 के निर्णय व डिक्री की प्रतिया पेश की व साथ ही नामान्तरणकरण संख्या 175 दिनांक 25/09/1975 , जमाबंदी की नकले भी पेश की गयी।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के प्रार्थनापत्र को खारीज करने का निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा न्यायालय के समक्ष नामान्तरणकरण व दस्तावेजात की प्रतियो का उल्लेख बताते हुए आराजी नम्बर 1060 जो कि 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी, जो वादीगण के पूर्वज भूरे खां पुत्र श्री दुले खां द्वारा जो भूमि क्रय की गयी, जो नामान्तरणकरण संख्या 175 के दर्ज हुई, जिसके नवीन साबिक आराजी नम्बर 1060/1 रकबा 13 बीघा कायम हुए, जो जमाबंदी संवत 2021-2024 मे भूरे खा पुत्र दुले खां के नाम पर दर्ज हो गयी थी व वर्तमान आराजी नम्बर 809, 810 कायम हुए है, जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वजो की साबिक आराजी नम्बर 1060 एवं 1059 से बने हे, यानि वादीगण के पूर्वज भूरे खां द्वारा क्रयशुदा आराजी नम्बर 1060/1 से नही बने है व साथ ही प्रकरण संख्या 01/2006 निर्णय दिनांक 09/03/2007 की प्रतिया पेश की गयी, जिसके अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के पक्षकार व विषयवस्तु समान है, पूर्व मे पारित निर्णय व डिक्री से उक्त प्रकरण रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव रखता है व साथ प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा मिलान खसरा की प्रतिया भी पेश की गयी, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आराजी नम्बर 1060 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा है, सेटलमेन्ट के दौरान आराजी नम्बर 809, 810 के अलावा आराजी नम्बर 1681 रकबा 20 बीघा जो कि बिलानाम सरकार दर्ज है व आराजी नम्बर 809, 810 का रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा है, जिसके आराजी नम्बर 1059 का रकबा भी शामिल है , यानि आराजी नम्बर 1681 मे वादीगण द्वारा क्रयशुदा भूमि का रकबा व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का कमी बेसी रकबा दर्ज होना भी अवगत कराया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 809, 810 के संबध मे पूर्व मे प्रकरण संख्या 01/2006 दिनांक 09/03/2007 को समान पक्षकारो व समान विषयवस्तु के संबध मे प्रकरण निर्णित हो जाने से उक्त वादपत्र रेसज्यूडिकेटा का प्रभाव रखने से उक्त वादपत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य पाता हूँ। वादीगण जो कि अपनी क्रयशुदा भूमि जो कि मिलान खसरा से आराजी नम्बर 1681 मे भी शामिल होना प्रतीत होने से पक्षकारान आराजी नम्बर 1681 से रकबे बाबत न्यायालय मे चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 809, 810 के संबध मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र रेस ज्यूडिकेटा का प्रभाव रखने से वादी का वाद खारीज किया जाता है। पक्षकारान आराजी नम्बर 1681 के संबध मे विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतत्र रहेगे।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 332/2017 राजस्व वाद

(पूर्व प्रकरण संख्या 27/2008 राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, माण्डल)

01. श्री सत्तार खां पुत्र श्री भूरे खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्री मुबारिक खां पुत्र श्री भूरे खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. श्री पीरू खां पुत्र श्री भूरे खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ——वादीगण

बनाम

01. श्री रमजु खां पुत्र श्री अमरूद खां पठान मुसलमान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1/1. श्री मुबारिक खां पुत्र स्व0 श्री रमजु खां पठान निवासी– कानजी का खेड़ा मजरा चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

1/1/1. श्री फिरोज पुत्र स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/2. श्री सद्दाम पुत्र स्व0 मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/3. शहजाद पुत्री स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/4. हसीना पुत्री स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/1/5. जाहिद पुत्र स्व0 श्री मुबारिक खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

1/2. श्रीमती जुम्मे पत्नी स्व0 श्री रमजु खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. श्री अजीज खां पुत्र श्री अमरूद खां पठान मुसलमान निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

2/1. श्रीमती सलमा बानू पत्नी स्व0 अजीज खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/2. श्री ईशाक खां पुत्र स्व0 अजीज खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3. श्री हनीफ पुत्र स्व0 अजीज खां पठान निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

2/3/1. श्री इकबाल खां पुत्र स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3/2. श्री असलम खां पुत्र स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3/3. शबीना पुत्री स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2/3/4. श्रीमती बच्ची बानू पत्नी स्व0 हनीफ खां पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3. रहमुदीन खां पुत्र श्री अमरूद खां पठान निवासी– कानजी का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मृतक के बजाय कायम मुकाम–

3/1. श्री शरीफ खां पुत्र स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3/2. श्री घीसू खां पुत्र स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3/3. श्री मुन्ने खां पुत्र स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

3/4. श्रीमती रहमत बानू पत्नी स्व0 श्री रेहमुदीन पठान आयु वयस्क निवासी– कानजी का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार , करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत धौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

——

वादी की ओर से श्री पवन शर्मा , बन्दु सिंह चुण्डावत, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 30.6.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ——और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **निल** को दी जायें।

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 809, 810 के संबध मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र रेस ज्युडिकेटा का प्रभाव रखने से खारीज किया जाता है। पक्षकारान आराजी नम्बर 1681 के संबध मे विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतत्र रहेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

यह डिक्री आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा